

भोपाल, दिनांक 25-8-15

क्रमंक एफ 2-99/1993/12-2

पति

मैसर्स अर्पण फेरो एल्युमिनियम,
कोसमी बालाघाट,
मोप्रो

विषय:- जिला बालाघाट के तहसील वारासिवनी के ग्राम मोहगांव घाट के रकबा
69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा

विषयांकित जिला बालाघाट के तहसील वारासिवनी के ग्राम मोहगांव
घाट के रकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा स्वीकृत
करने हेतु दिनांक 24.08.92 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण कर आपके पक्ष से
खनिपट्टा स्वीकृत का निर्णय लिया जाकर दिनांक 17-05-1993 से प्रस्ताव भारत
सरकार खान मंत्रालय को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक
16-11-93 से राज्य शासन के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुमोदन पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24-05-1994 से आपके
पक्ष में ग्राम मोहगांव के खसरा क्रमांक 396 के रकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र पर
मैग्नीज और खनिज का खनिपट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया
था।

यह कि कलेक्टर जिला बालाघाट ने पत्र दिनांक 17.10.1993 से
अवगत कराया कि अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही दिनांक 10.06.1994 को पूर्ण
कर दी गई थी, परन्तु वनभूमि अधिकारी दक्षिण (खानाबंद) बालाघाट के पत्र दिनांक
29.08.1994 द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक के पक्ष में स्वीकृत उक्त क्षेत्र
वनभूमि है। जिसमें वनसंरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील होंगे जो वनकम्पार्टमेन्ट
नं. पी-207-"क" का भाग है।

यह कि राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरान्त आपके पक्ष में स्वीकृत
उक्त क्षेत्र वनभूमि होने के कारण वनसंरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील होने के
कारण विभागीय परिपत्र दिनांक 22.06.2008 में वनभूमि व्यापवर्तन किये जाने हेतु
सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है। तदनुसार वनविभाग से सहमति प्राप्त कर
प्रस्तुत को जायें।

अध्यक्ष

प.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक - एफ 2-99/ 993 / 12 / 2

दिनांक - 25-8-15

सेवा - एस.के. शिदानी
अवर सचिव
प्रति,

सचिव,

भारत सरकार, खान मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय - Clarification regarding grant of mining lease for Manganese ore over an area of 69.22 acres in village Mohgaonghat, Madhya Pradesh in favour of M/s Arpan Ferro Alloys.
संदर्भ :- भारत सरकार, खान मंत्रालय का पत्र क्रमांक 7/27/2014/एन-4 दिनांक 26.09.2014

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन प्रार्थनीय है जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

विषयांतर्गत पुनः परीक्षण कर लेख है कि मेम्बर अर्पन फेरो एलायस के पक्ष में जिला बालाघाट के तहसील वारासिवनी के ग्राम मोहगांव घाट के एकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैंगनीज ओर, खनिज का खनिपट्टा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर विभागीय पत्र दिनांक 17-05-1993 से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसके संदर्भ में भारत सरकार, खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5/25/1993/एन-4 दिनांक 16-11-1993 से धारा 5(1) के तहत खनिपट्टा स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। अनुमोदन पश्चात् आवेदक के पक्ष में विभागीय आदेश दिनांक 24-05-1994 से खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये गये थे, जिसकी प्रति संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित समयवाधि में अनुबंध निष्पादन हेतु कलेक्टर बालाघाट के यहाँ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही प्रचलन में थी कि कलेक्टर बालाघाट द्वारा दिनांक 19.10.1995 (प्रति संलग्न) से सूचित किया गया कि आवेदक के पक्ष में स्वीकृत उक्त क्षेत्र वनभूमि है जो वनकम्पार्टमेंट नं. पी 807-क का भाग है। इस वजह से स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत भी अनुबंध का निष्पादन नहीं हो पाया। खनि विधायक नियम 1963 के नियम 3 में अनुबंध निष्पादन हेतु राज्य सरकार अतिरिक्त समयवाधि प्रदान कर सकती हैं। इसकी कोई राय सीमा निर्धारित नहीं

17

है। वन भूमि होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल को पृथक से संवैधानिक सहमति प्रदान की जा रही है कि ये उक्त क्षेत्र के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। वन अनुमति प्रस्तुत करने के उपरांत ही कलेक्टर बालाघाट को खनिज अधिनियम के लिए लेख किया जा सकेगा।

(एन.के. शिवानी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग

पृ क्रमंक - एफ 2-99/1993/12/2

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि -

1. कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र.।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग